उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी

कार्यालय आदेश

ज्ञातव्य हो कि तम्बाकू जनित रोगों से प्रतिवर्ष भारत में लगभग 12 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। Global Adult Tobacco Survey (GATS 1) के अनुसार झारखण्ड में 50.1 प्रतिशत् युवा किसी न किसी रुप में तम्बाकू का सेवन करते हैं, जिसमें 63.6 प्रतिशत् पुरुष एवं 35.9 प्रतिशत् महिलाए हैं। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों से होने वाली घातक बीमारियों (यथा कैंसर, हृदय रोग एवं फेफड़ों आदि) के संबंध में जनमानस में युक्तिसंगत तरीकों से जागरूकता फैलाया जाना आवश्यक है।

तम्बाकू नियन्त्रण से संदर्भित वैधानिक कानून (COTPA 2003) के प्रर्वतन (enforcement) के प्रतिबद्ध प्रयासों से जन मानस को धूम्रपान के फलस्वरूप होने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा–4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप रू0 200 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

यत्र–तत्र थूकने से कई गम्भीर बीमारियाँ यथा इन्सेफलाईटिस, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की सम्भावना प्रबल रहती है। तम्बाकू खाने वाले भी यत्र–तत्र थूक कर गंदगी फैला कर वातावरण को दूषित करने के साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों को फैलने के लिये उपयुक्त परिस्थिति तैयार करते हैं।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी, यदि ऐसा विधि विरुद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो– उस व्यक्ति को छः मास अवधी तक का कारावास एवं/अथवा दो सौ रुपए तक के जूर्माना से दंडित किया जाएगा। साथ ही परिद्वेशपूर्ण कार्य, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो, के लिये भारतीय दण्ड संहिता धारा 290 के अन्तर्गत दंडित किया जाएगा।

उक्त के आलोक में जिले के सभी सरकारी संस्थान एवं परिसर यथा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय परिसर, थाना, शॉपिंग मॉल, बैंक, होटल एवं रेस्टोरेंट, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, सिनेमा घर आदि को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। फलस्वरूप इन परिसरों में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघनकर्ताओं पर विधिसंवत कार्रवाई की जाएगी, जिस हेतु प्रत्येक सरकारी कार्यालय/प्रतिष्ठान में एक विशेष पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाना है।

उक्त के आलोक में निदेशित है कि:–

i) अपने–अपने संस्थानों एवं कार्यालय परिसरों को तत्काल तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए विशेष पदाधिकारी दण्डात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रधिकृत करें।

ii) आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपयुक्त स्थलों पर संलग्न प्रारूप के अनुसार बोर्ड लगवाना (दीवार लेखन) कराना सुनिश्चित करें। इस आदेश के उल्लंघनकर्त्ताओं को दण्डित करने के लिये प्रधिकृत विशेष पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल न0 को दिवार लेखन के प्रारुप में अंकित किया जाना है।

iii) दण्डात्मक कार्रवाई हेतु चलान बुकलेट एवं स्पॉट फाईन बुकलेट जिला स्वास्थ्य समिति खूँटी से प्राप्त किया जाना है तथा प्रत्येक माह किये गए दण्डात्मक

कार्रवाई की विवरणी, विहित प्रपत्र में, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, खूँटी को समर्पित की जानी है।

आपका यह प्रयास खूँटी जिला को धूम्रपान/तम्बाकू मुक्त बनाने के साथ जन मानस के जीवन को गुणवत्तायुक्त एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में योगदान देगा।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी।

ज्ञापांक 36 /गो0 दिनांक 17/7/17

प्रतिलिपि – सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला खूँटी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, खूँटी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, खूँटी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खूँटी जिला अन्तर्गत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, खूँटी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, खूँटी/सभी कार्यालय प्रधान, खूँटी जिला अन्तर्गत/श्रम अधीक्षक, खूँटी/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), खूँटी/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, खूँटी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी/उप–विकास आयुक्त, खूँटी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – पुलिस अधीक्षक, खूँटी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि – सिनेमा मजिस्ट्रेट, खूँटी को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि अपने स्तर से जिले के सभी सिनेमा हॉल के मालिक/प्रबंधक को इस आशय का बोर्ड लगाने का निदेश देते हुए बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि – खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि जिले के सभी होटलों एवं रेस्टोरेंटों में इस आशय का बोर्ड लगाने का निदेश देते हुए एवं बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि – श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स) को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गंभीर बिमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA – 2003 के विभिन्न धाराओ के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय छापातार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर–सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विकय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/ जुर्माना (रु0 200/– तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेगें–

1. अपर समाहर्त्ता–सह – विशेष नोडल पदा0 तम्बाकू नियंत्रण खूँटी –	अध्यक्ष
2. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय) खूँटी –	सदस्य
3. जिला परिवहन पदाधिकारी खूंटी –	सदस्य
4. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी –	सदस्य
5. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, खूँटी –	सदस्य
6. औषधी निरीक्षक, खूँटी –	सदस्य
7. जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी –	सदस्य
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वा0 समिति) खूँटी –	सदस्य
9. श्रम अधीक्षक, खूँटी –	सदस्य
10. संबंधित थानाध्यक्ष, खूँटी –	सदस्य
11. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण), खूँटी –	समन्वयक

23.9.2015

असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी

24/9/15

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी।

ज्ञापांक 100 (NTCP) खूँटी दिनांक 14.10.2015

प्रतिलिपि–उपरोक्त सभी पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खूंटी/ अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खूँटी/ जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खूँटी/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खूँटी/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, खूँटी/ जिला परिवहन पदाधिकारी, खूँटी/ जिला कार्यकम पदाधिकारी, आई0 सी0 डी0 एस0, खूँटी/ डी0 आई0 ओ0, एन0 आई0 सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी/ सिविल सर्जन, खूँटी/जिला कार्यकम प्रबधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–पुलिस अधीक्षक, खूँटी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देगें।

प्रतिलिपि–राज्य नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम NCD Cell, RCH कैम्पस, नामकोम, रॉची–834010 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के ज्ञापांक 130(HN) दिनांक 24.08.2015 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

23.9.2015

असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी

24/9/15

5/10/15

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी।

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution Act 2003 (COTPA-2003) को खूँटी जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 16/NTPC/13 राँची दिनांक 09.05.2013 के आलोक में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, खूँटी की अध्यक्षता में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC) का गठन इस कार्यालय के पत्रांक 09/NTCP/16 खूँटी , दिनांकः–28.06.2016 द्वारा किया गया था। दिनांक 24.05.2017 को जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में इस समिति का विस्तारीकरण करते हुए निम्न पदाधिकारियों को भी जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है।

1. उपायुक्त, खूँटी : अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक, खूँटी : सदस्य
3. असैनिक भाल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चि० पदा०, खूँटी : सदस्य सचिव
4. अपर समाहर्त्ता–सह–विशेष नोडल पदा0,तंबाकू नियंत्रण खूँटी : सदस्य
5. उप–विकास आयुक्त, खूँटी : सदस्य
6. जिला नोडल पदा0, तंबाकू नियंत्रण कार्यकम, खूँटी : सदस्य–सह–समन्वयक
7. अपर मुख्य चिकित्सा पदा0, खूँटी : सदस्य
8. जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी : सदस्य
9. जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, खूँटी : सदस्य
10. जिला परिवहन पदाधिकारी, खूँटी : सदस्य
11. जिला खाद्य सुरक्षा पदा0 खूँटी : सदस्य
12. अध्यक्ष, आई0एम0ए0, खूँटी : सदस्य
13. सचिव, भारतीय रेडक्रॉस सोसाईटी, खूँटी : सदस्य
14. समन्वयक सिन्नी संस्था, खूँटी : सदस्य
15. प्राचार्य, एस0 एस0 +2 उच्च विद्यालय, खूँटी : सदस्य
16. प्राचार्य, बिरसा कॉलेज, खूँटी : सदस्य
17. प्राचार्य, लोयला इन्टर कॉलेज, खूँटी : सदस्य

नव गठित जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति में विभिन्न विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के निम्नांकित सदस्य होंगे।

1. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, खूँटी : अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक, खूँटी : सदस्य
3. असैनिक भाल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चि0 पदा0, खूँटी : सदस्य सचिव

4. अपर समाहर्त्ता–सह–विशेष नोडल पदा0,तंबाकू नियंत्रण खूँटी : सदस्य–सह–मुख्य समन्वयक

5. उप विकास आयुक्त	:	सदस्य
6. अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी	:	सदस्य
7. जिला नोडल पदा0, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, खूँटी	:	सदस्य–सह–समन्वयक
8. उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, खूँटी	:	सदस्य
9. अपर मुख्य चिकित्सा पदा0, खूँटी	:	सदस्य
10.जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी	:	सदस्य
11.जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, खूँटी	:	सदस्य
12.जिला परिवहन पदाधिकारी, खूँटी	:	सदस्य
13.जिला खाद्य सुरक्षा पदा0 खूँटी	:	सदस्य
14.औशधि निरीक्षक, खूँटी	:	सदस्य
15.अध्यक्ष, आई0एम0ए0, खूँटी	:	सदस्य
16.सचिव, भारतीय रेडकॉस समिति, खूँटी	:	सदस्य
17.समन्वय, सिन्नी संस्था, खूँटी	:	सदस्य
18.प्राचार्य, एस0 एस0 +2 उच्च विद्यालय, खूँटी	:	सदस्य
19.प्राचार्य, बिरसा कॉलेज, खूँटी	:	सदस्य
20.प्राचार्य, लोयला इन्टर कॉलेज, खूँटी	:	सदस्य
21.प्रतिनिधि, सोसियो इकानोमिक एण्ड ऐजुके□नल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स)	:	सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित हैः–

- COTPA -2003 को पूरे खूँटी जिले में प्रभावी रूप से लागू करवाने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने तथा मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- खूँटी जिले/प्रखण्डों की अनुश्रवण/रहनुमाई समिति का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामले में फैसला लिया गया है।
- तंबाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखण्ड स्तरीय समिति को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करना तथा राज्य/जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।
- DTCCC की त्रैमासिक मनोनीत सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना।
- तम्बाकू और संबद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष एवं surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रकिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी ।

ज्ञापांक 039 / खूँटी , दिनांक 17/7/17

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेशित

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी ।

ज्ञापांक 039 / खूँटी दिनांक 17/7/17

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोरियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) एवं श्री आशीश पांण्डे, तकनीकी सलाहकार दी युनियन नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0 एव शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी ।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गंभीर बिमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA – 2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर–सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/ जुर्माना (रु0 200/– तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेगें–

1. अपर समाहर्त्ता–सह – विशेष नोडल पदा0 तम्बाकू नियंत्रण खूँटी –	अध्यक्ष
2. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय) खूँटी –	सदस्य
3. जिला परिवहन पदाधिकारी खूंटी –	सदस्य
4. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी –	सदस्य
5. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, खूँटी –	सदस्य
6. औषधी निरीक्षक, खूँटी –	सदस्य
7. जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी –	सदस्य
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वा0 समिति) खूँटी –	सदस्य
9. श्रम अधीक्षक, खूँटी –	सदस्य
10. संबंधित थानाध्यक्ष, खूँटी –	सदस्य
11. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण), खूँटी –	समन्वयक

23.9.2015

असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी

24/9/15

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी।

ज्ञापांक 100 (NTCP) खूँटी दिनांक 14.10.2015

प्रतिलिपि–उपरोक्त सभी पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खूंटी/ अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खूँटी/ जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खूँटी/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खूँटी/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, खूँटी/ जिला परिवहन पदाधिकारी, खूँटी/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0 सी0 डी0 एस0, खूँटी/ डी0 आई0 ओ0, एन0 आई0 सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी/ सिविल सर्जन, खूँटी/जिला कार्यक्रम प्रबधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–पुलिस अधीक्षक, खूँटी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देगें।

प्रतिलिपि–राज्य नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम NCD Cell, RCH कैम्पस, नामकोम, राँची–834010 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के ज्ञापांक 130(HN) दिनांक 24.08.2015 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

23.9.2015

असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी

24/9/15

5/10/15

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गंभीर बिमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA – 2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर–सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विकय स्थालों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/ जुर्माना (रु0 200/– तक) कि कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

अनुमंडलीय स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेगें–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी – अध्यक्ष
2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खूँटी – सदस्य
3. कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी – सदस्य
4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, खूँटी – सदस्य
5. संबंधित थानाध्यक्ष, खूँटी – सदस्य
6. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय , खूँटी – सदस्य

अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी अपने कार्य क्षेत्र में उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें, इस कार्य में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तर के अन्य पदाधिकारियों की भी सेवाएँ ले सकते हैं।

असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी।

ज्ञापांक................................ खूँटी दिनांक...

प्रतिलिपि– उपरोक्त सभी पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खूँटी/ अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खूँटी/ जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खूँटी/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खूँटी/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, खूँटी/ जिला परिवहन पदाधिकारी, खूँटी/ जिला कार्यकम पदाधिकारी, आई0 सी0 डी0 एस0, खूँटी/ डी0 आई0 ओ0, एन0 आई0 सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी/ सिविल सर्जन, खूँटी/जिला कार्यकम प्रबधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, खूँटी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देगें।

प्रतिलिपि– राज्य नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम NCD Cell, RCH कैम्पस, नामकोम, रॉची–834010 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एव परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के ज्ञापांक 130(HN) दिनांक 24.08.2015 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गंभीर बिमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA – 2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर–सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थालों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/ जुर्माना (रु0 200/– तक) कि कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेगें–

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी — अध्यक्ष
2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, — समन्वक सदस्य
3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी — सदस्य
4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी — सदस्य
5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी — सदस्य
6. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक — सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष — सदस्य

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने–अपने कार्य क्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रुप में प्रतिनियुक्त कर सकेगें। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की भी सेवाऐं ली जा सकती हैं।

अरौनिक शल्य चिकित्सा-सह-
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी।

ज्ञापांक.............................. खूँटी दिनांक..

प्रतिलिपि–उपरोक्त सभी पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खूंटी/ अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खूँटी/ जिला नांडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, खूँटी/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खूँटी/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, खूँटी/ जिला परिवहन पदाधिकारी, खूँटी/ जिला कार्यकम पदाधिकारी, आई0 सी0 डी0 एस0, खूँटी/ डी0 आई0 ओ0, एन0 आई0 सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी/ सिविल सर्जन, खूँटी/जिला कार्यकम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–पुलिस अधीक्षक, खूँटी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देगें।

प्रतिलिपि–राज्य नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम NCD Cell, RCH कैम्पस, नामकोम, रॉची–834010 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के ज्ञापांक 130(HN) दिनांक 24.08.2015 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अरौनिक शल्य चिकित्सा-सह-
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी।

आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते है।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा–बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षिणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धुम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, अल्लंधनकर्त्ता को रूपये 200/–तक जुर्माना किया जाएगा। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :–

अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने–अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंघन करने वाले को 200 रू0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी ।

ज्ञापांक 412 / खूँटी दिनांक 17/7/17

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला खूँटी /जिला शिक्षा पदाधिकारी खूँटी /उपाधीक्षक सदर अस्पताल, खूँटी /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, खूँटी /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खूँटी जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, खूँटी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, खूँटी / सभी कार्यालय प्रधान, खूँटी जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, खूँटी /पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), खूँटी , जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, खूँटी ./सभी अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी /उप–विकास आयुक्त, खूँटी / पुलिस अधीक्षक, खूँटी को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियत्रण समन्वय समिति,
खूँटी ।

ज्ञापांक 412 / खूँटी दिनांक 17/7/17

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोसियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) एवं श्री आशीश पांण्डे, तकनीकी सलाहकार दी युनियन नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियत्रण समन्वय समिति,
खूँटी ।

उपायुक्त--सह--जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी।

आदेश

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के ज्ञापांक 16 दिनांक 20.12.2012 के द्वारा Cigarettes and other Tobacco Products Act (COTPA) – 2003 की धारा – 5 के Monitoring हेतु जिला स्तरीय समिति के गठन का निदेश प्राप्त है।

उक्त निदेश के आलोक में जिला स्तरीय समिति , खूँटी की संरचना निम्न प्रकार की जाती है –

1. उपायुक्त– अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक– सदस्य
3. जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी– सदस्य
4. औषधी एवं खाद्य निरीक्षक– सदस्य
5. समन्वयक ' सिन्नी ' संस्था, खूँटी– सदस्य
6. उपायुक्त महोदय द्वारा मनोनित सदस्य–

(I) श्री एन0 माँझी, प्राचार्य बिरसा महाविधालय, खूँटी।

(II) श्रीमती किरण होरो, शिक्षिका मनोविज्ञान विभाग, एस0एस0 +2 उच्च विधालय, खूँटी

(III) श्री मदन प्रसाद पासवान, शिक्षक समाजशास्त्र विभाग, एस0एस0 +2 उच्च विधालय, खूँटी।

ह0/–
उपायुक्त,
खूँटी।

ज्ञापांक 99 (NTCP) खूँटी, दिनांक 14.10.2015

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, खूँटी/ जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी ,खूँटी / औषधी एवं खाद्य निरीक्षक,खूँटी / समन्वयक ' सिन्नी ' संस्था, खूँटी /श्री एन0 माँझी, प्राचार्य बिरसा महाविधालय, खूँटी/श्रीमती किरण होरो, शिक्षिका मनोविज्ञान विभाग, एस0एस0 +2 उच्च विधालय, खूँटी/ श्री मदन प्रसाद पासवान, शिक्षक समाजशास्त्र विभाग, एस0एस0 +2 उच्च विधालय, खूँटी को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के ज्ञापांक 16 दिनांक 20.12.2012 के छाया प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है।

प्रतिलिपि– असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के ज्ञापांक 16 दिनांक 20.12.2012 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– राज्य नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम State Leprosy Building, NCD Cell, RCH कैम्पस, नामकोम, राँची–834010 को सूचनार्थ प्रेषित।

22/9/15

उपायुक्त,
खूँटी।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी।

आदेश

खूँटी जिला के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार–प्रसार बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार *"धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास/रूपये 1000/–(रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"*।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/दुकानदारों/व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार–प्रसार करना बंद करें एवं खूँटी जिला में लगाये गये इस तरह के बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संवत कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी।

प्रतिलिपि : खूँटी जिला के सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/तम्बाकू उत्पाद बेचनें वाले दुकानदारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशासक, खूँटी नगर निगम, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

ज्ञापांक 043 / खूँटी दिनांक 17/7/17

ह०/-
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी।

ज्ञापांक 043 / खूँटी दिनांक 17/7/17

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला खूँटी /जिला शिक्षा पदाधिकारी खूँटी /उपाधीक्षक सदर अस्पताल, खूँटी /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, खूँटी / /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खूँटी जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, खूँटी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, खूँटी / सभी कार्यालय प्रधान, खूँटी जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, खूँटी /पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), खूँटी , जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, खूँटी ,/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी /उप–विकास आयुक्त, खूँटी / पुलिस अधीक्षक, खूँटी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, खूँटी को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी।

ज्ञापांक 043 / खूँटी दिनांक 17/7/17

(14)

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोसियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) एवं श्री आशीश पांण्डे, तकनीकी सलाहकार दी युनियन नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी ।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी।

आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा 6 A के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अर्न्तगत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :–

अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा– बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मसाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेगें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

(Hand L Raj)
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी ।

ज्ञापांक......2541............... / खूँटी दिनांक 17/7/17..............

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द, जिला खूँटी /जिला शिक्षा पदाधिकारी खूँटी /उपाधीक्षक सदर अस्पताल, खूँटी /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, खूँटी /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खूँटी जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, खूँटी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, खूँटी /सभी कार्यालय प्रधान, खूँटी जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, खूँटी /पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), खूँटी , जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, खूँटी ./सभी अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी /उप–विकास आयुक्त, खूँटी / पुलिस अधीक्षक, खूँटी को सूचनार्थ प्रेषित।

(Hand L Raj)
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी ।

ज्ञापांक 041 / खूँटी दिनांक 17/7/11

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोसियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) एवं श्री आशीश पांण्डे, तकनीकी सलाहकार दी युनियन नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी ।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी।

आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6B) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकु मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकु के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगाने एवं दिवार लेखन का निदेश दिया जाता है। जिसका प्रारूप निम्न प्रकार से है :–

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान

इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200/–रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

आदेशानुसार

[illegible]

[illegible]

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने–अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं 100 गज के दायरें में किसी भी प्रकार का तम्बाकु उत्पाद की बिकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दूष्परिणामों के बारें में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकु नियंत्रण पर प्रभात–फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक महीने के समीक्षात्मक बैठक में इस तम्बाकू नियंत्रण के तहत की गयी कार्रवाई की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी ।

ज्ञापांक 040 / खूँटी दिनांक 17/7/17

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला खूँटी /जिला शिक्षा पदाधिकारी खूँटी /उपाधीक्षक सदर अस्पताल, खूँटी /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, खूँटी / /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खूँटी जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, खूँटी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, खूँटी / सभी कार्यालय प्रधान, खूँटी जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, खूँटी /पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), खूँटी , जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, खूँटी ,/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी /उप–विकास आयुक्त, खूँटी / पुलिस अधीक्षक, खूँटी को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी ।

ज्ञापांक 040 / खूँटी दिनांक 17/7/17

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, सोसियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) एवं श्री आशीश पांण्डे, तकनीकी सलाहकार दी युनियन नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0टी0सी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेशित।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
खूँटी ।